उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

फौजदारी प्रकीर्ण अपील संख्या–404 वर्ष 2019

श्रीमती नीतू सिंह उर्फ नीतू कैंठ

..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित अधिवक्ता।

अपीलार्थी की ओर से– श्री राकेश थपलियाल, श्री ललित शर्मा

राज्य सरकार की ओर से– सुभाष त्यागी भारद्वाज, श्री वी0एस0 राठौर,
श्री वी0के0 कोहली, श्री कांती राम।

माननीय न्यायाधीश लोकपाल सिंह

वर्तमान आपराधिक विविध आवेदन आवेदक श्रीमती नीतू सिंह उर्फ नीतू कैंथ द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या–242/2018 श्रीमती सरिंदर कौर और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश–1 देहरादून द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 04.02.2019 के विरूद्ध दायर किया गया ह। जिसमें निजी उत्तरदाताओं के पुनरीक्षण की अनुमति दी गई और ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 04.08.2019 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।

2– वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य यह है कि प्रारम्भ में आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट आई.पी.सी. की धारा 498–ए और 323 के तहत पुलिस स्टेशन, राजपुर, जिला देहरादून में एफ.आई.आर. संख्या–0149 दर्ज की गई थी। यह रिकॉर्ड में आया है कि संबंधित मामलों में प्रधान न्यायाधीश परिवाद न्यायालय देहरादून ने आदेश जारी किये हैं। दिनांक 09.05.2018, 06.09.2018 और 11.09.2018 ने आवेदक को अपने बेटीमास्टर परनीत सिंह सागर को लाने का निर्देश दिया था ताकि पार्टियों को मास्टर परनीत सिंह सागर से मिलने की अनुमति दी जा सके, लेकिन ये आदेश नहीं दिए गऐ हैं।

3– यह भी कहा गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट–1 देहरादून ने 2017 के विविध मामले संख्या–1141 में पारित अपने आदेश दिनांक 03.10.2017 के तहत प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को नाबालिग की हिरासत में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। बच्चा, अर्थात परनीत सिंह रागर। आवेदक ने निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून के समक्ष सी0आर0पी0सी0 की धार 156–3 के तहत एक आवेदन भी दायर किया है और प्रार्थना की है कि पलिस स्टेशन डालनवाला को एफ0आई0आर0 दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया जाए। शिकायतकर्ता/आवेदक का बयान सीआरपीसी की धारा 200 के तत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत एक आवेदन भी दिया है, जिसमें उसने कहा है कि आरोपी व्यक्ति अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और संबंधित अदालत द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करके उसके बेटे, परनीत सिंह सागर का उपहरण करने की कोशिश की है। जिसे स्कूल के सीसीटी फुटेज से सत्यापित किया जा सकता है और स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी के बयान दर्ज करना और सच्चाई को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है। आवेदक ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत आवेदन की अनुमति दी जाए और इस संबंध में पुलिस स्टेशन डालनवाला, देहरादून को निर्देश जारी किए जाएं।

5– विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2018 द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष दर्ज किया कि शिकायतकर्ता/आवेदक ने धारा 202 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में शिकायत के कथनों का समर्थन किया है। परिणामस्वरूप, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 08.04.2018 के आदेश के तहत थाना प्रभारी, डालनवाला, देहरादून को घटना की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया है और इसका खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा और मामले की तारीख 28.04.2018 तय की गई। इसके बाद पुलिस स्टेशन डालनवाला ने दिनांक 15.05.2018 को एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें कहा गया कि स्कूल अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने 18.07.2018 को श्री सोहन सिंह से पूछताछ की, जिसमें श्री सोहन सिंह ने शिकायतकर्ता/आवेदक के संस्करण का समर्थन किया। विद्वान मजिस्ट्रेट को अपनी राय बनाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले और परिणामस्वरूप विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 04.08.2018 के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रतिवादी संख्या–3 और बबनीश त्यागी को तलब करने की कृपा की।

6– दिनांक 04.08.2018 के सम्मन आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, उत्तरदाताओं ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–1 देहरादून के समक्ष 2018 के 242 'श्रीमती सुरिंदर कौर और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य' में संशोधन को प्राथमिकता दी। इसके बाद विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशने अपने आदेश दिनांक 04.02.2019 द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 04.08.2018 के आदेश को रद्द करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी और पुनरीक्षण द्वारा की गई टिप्पणीयों के

मद्देनजर शिकायत पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया।

7— पुनरीक्षण न्यायालय ने शिकायत में और शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा दिए गऐ बयान में दिए गए विरोधाभासों पर विचार किया है, जिसमें एक तरफ उसने कहा है कि दिनांक 06.02.2018 को जब वह अपने पिता के साथ अपने बेटी को लेने के लिए स्कूल पहुंची, उसकी सास ने उसके बेटी का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटीने शोर मचाने के कारण लोग वहा जमा हो गये, भीड़ को देखकर श्रीमती सुंरिंदर कौर और बबनीश त्यागी सिल्वर 120 कार में मौके से भाग कए। दूसरी ओर शिकायतकर्ता/अभियुक्त ने धारा 202 सीआरपीसी के तहत अपने गवाहों की जांच की है, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 06.02.2018 को वह अपनी बेटी के साथ दोपहर 1:40 बजे बेटीको लेने के लिए स्कूल पहुंचे और जब वह बाहर बैठे थे, एक कार में स्कूल जा रहा था, उसने देखा की भीड़ इकट्ठी थी और जब वह वहां गया तो उसने देखा कि सुरिंदर कौर ने उसकी बेटी को गले से पकड़ लिया है और कह रही है कि वह उसे मार डालेगी और सुरिंदर कौर अपने पोते को ले जाने की कोशिश कर रही थी और तभी बच्ची रोने लगी। सिल्वर 120 कार मौके से भाग गई।

8. यह ध्यान देने योग्य है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, देहरादून ने आवेदक की नाबालिक बेटी को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। ऐसा लगता है कि आवेदक ने आवेदन करते समय संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष इन निष्कर्षों को दबा दिया था।

9. विद्वान पुरनीक्षण न्यायालय ने शिकायतकर्ता/आवेदक के बयानों पर विचार किया। जिससे कि आवेदक नीतू कैंथ और उनके पिता सोहन सिंह, विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मेसर्स पेप्सी फूड लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य 1997 आईएनएससी 809 के मामले में पारित निर्णय पर विचार किया गया है, जिसके तहत दिनांक 04.02.2019 के आदेश से रिवीज़न को स्वीकार कर, दिनांक 4.8.2018 के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को कोर्ट भेजा है।

10. इस न्यायालय की दृष्टि में, रिमांड का आदेश प्रकृति में एक अंतरिम आदेश है। इस न्यायालय को विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा पारित दिनांक 04.02.2019 के आदेश में कोई अवैधता, विकृति, क्षेत्राधिकार संबंध त्रुटि और कानून की प्रकिया का दुरूपयोग नहीं मिला।

11. विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02. 2019 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

12. नतीजतन सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक विविध आवेदन बर्खास्त किया जाता है।

(लोक पाल सिंह न्यायाधीश)

दिनांक 25.01.2021